## न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

1

विशेष प्रकरण<u>कमांकः 59 / 2015</u> संस्थित दिनांक—18.11.2011 फाईलिंग नंबर—230303005612011

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— १००० अरक्षी केन्द्र गोहद, जिला—भिण्ड (म०प्र०) ————<u>अभियोजन</u>

#### वि रू द्ध

- लाखन पुत्र मायाराम गुर्जर उम्र 32 वर्ष, निवासी अन्हाने, मौजा पारसेन थाना बिजौली, जिला ग्वालियर म.प्र.
- राजू उर्फ राजबीर पुत्र श्रीकृष्ण गुर्जर, उम्र—29 वर्ष, निवासी ग्राम परसेन, थाना बिजौली, जिला भिण्ड ग्वालियर म.प्र.

...(धारा 317(2) जा.फौ. के तहत कार्यवाही)

 लखना उर्फ रामखलन पुत्र अमरसिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष, निवासी जिमलेदार का पुरा, थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

...(धारा 317(2) जा.फौ. के तहत कार्यवाही)

.....आरोपीगण्रु

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक आरोपीगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

# –∷– <u>निर्णय</u> –<del>ु:</del>⊈

(आज दिनांक

को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आरोपी लाखन पुत्र मायाराम गुर्जर के विरूद्ध धारा 392 भा0द0सं0 सहपिठत धारा—398 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप है कि उसने अनुपस्थित आरोपीगण के साथ मिलकर दिनांक 22.06.2011 के सुबह करीब 09:30 बजे चितौरा ग्वालियर रोड पर नहर की पुलिया के पास डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित होते हुए खतरनाक आयुध देशी कट्टे आदि का उपयोग करते हुए फरियादी अजय शर्मा के आधिपत्य से उसकी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.ई. 5159 को तथा उसकी बहन सुमन शर्मा से एक पर्स जिसमें पांच हजार रूपए थे तथा काले रंग के मोतियों वाला सोने का मंगलसूत्र एवं सोने का ओम का लॉकेट की लूट कारित की।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रकरण में बताया गयाघटनास्थल राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत होकर म.प्र.शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 12–1/2000/पी(1)दो भिण्ड दिनांक 20.01.2000 से मध्यप्रदेश डकेती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत डकेती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और घटना दिनांक को वह डकेती प्रभावित क्षेत्र था।

2

- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 22.06.2011 को फरियादी अजय शर्मा ने दिन के करीब 1 बजे थाना गोहद पहुँचकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि वह उक्त दिनांक को सुबह करीब 09:30 बजे अपनी बहुन सुमन शर्मा को उसकी ससुराल ग्राम करवास (मौ) से अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.ई. 5159 बजाज डिस्कवर 150 सी.सी. से लेकर अपने गांव सोनी (बिजौली) जा रहा था। चितौरा से करीब एक डेढ किलोमीटदर आगे निकला था कि नहर की पुलिया से थोडा आगे जब वह पहुँचा तो पीछे से तीन लडके एक मोटरसाइकिल में आ गए और उसकी मोटरसाइकिल को आगे से रोक लिया। तभी एक लडका ने उस पर कटटा लगा दिया और तीनों ने मिलकर उससे मोटरसाइकिल छुडा ली तथा उसकी बहुन के पर्स से पांच हजार रूपए नगद तथा एक काले रंग की मोतियों का मिंगलसूत्र व एक सोने का ओम का लॉकेट छुडा लिया और भाग गए। भागने में बदमाशों की मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना पंचर हो गई तो उसे वहीं पड़ी छोड़ गए जो बिना नम्बर की है। फिर उसने फोन कर के चितौरा के बलवीर व राजू और चरनसिंह को बुलाया और बदमाशों का पीछा किया जो उन्हें शीतला तक भागते हुए दिखे। फिर लौटकर उसने उक्त आशय की रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोहद में प्रदर्श पी. 8 की एफआईआर दर्ज करते हुए तीन अज्ञात लुटेरों के विरूद्ध अपराध कमांक 127 / 2011 धारा 392 भा0दं०ंसं० एवं धारा 11 / 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर घटना को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान संकलित हुई साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण लाखन पुत्र मायाराम, राजू उर्फ राजबीर एवं लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण कर अभियोगपत्र लाखन पुत्र मायाराम और लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह को फरार हो जाने से आरोपी राजू उर्फ राजवीर के विरूद्ध पेश किया गया।
- 4. अभियोगपत्र प्रस्तुति के पश्चात् फरार बताए गए आरोपीगण को जिरए गिरफ्तारी वारंट आहूत किया गया और उनके प्रकरण में उपलब्ध हो जाने पर दिनांक 26.02.2015 को उनके विरुद्ध अभियोगपत्र एवं संलग्न सामाग्री के आधार पर धारा 392 सहपिटत धारा 398 भा०दं०ंसं० एवं धारा 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के एक्ट 1981 के तहत आरोप विरचित किये गए आरोपीगण के द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी लाखन पुत्र मायाराम द्वारा रंजिशन गांव वालों के कहने पर पुलिस द्वारा झूटा फंसाया जाने का बचाव धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत हुए परीक्षण के माध्यम से लिया है।
- 5. प्रकरण में आरोपी लाखन पुत्र मायाराम के अलावा शेष आरोपीण के विरूद्ध धारा 317(2) जा.फो. के तहत कार्यवाही करते हुए उनका मामला

3

प्रथक किया गया है। इसलिए इस निर्णय के द्वारा आरोपी लाखन पुत्र मायाराम का निराकरण किया जा रहा है। जिसके संबंध में मुख्य रूप से निम्न विचारणीय बिन्दु है—

- 1. क्या आरोपी लाखन पुत्र मायाराम के द्वारा दिनांक 22.06.2011 को सुबह करीब 09:30 बजे चितौरा ग्वालियर लोक मार्ग पर नहर की पुलिया के पास अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर डकैती प्रभावित क्षेत्र में खतरनांक आयुध का उपयोग करते हुए लूट की घटना का अंजाम दिया?
- 2. क्या आरोपी के द्वारा उक्त सुसंगत घटना में अजय शर्मा से उसके कब्जे की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.ई. 5159 तथा उसकी बहन सुमन शर्मा के कब्जे से नगदी पांच हजार रूपए, काले मोतियों वाला मंगलसूत्र एवं ओम आकार का सोने का लॉकेट की लूट कारित की?

### \_::-निष्कर्ष के आधार :-

#### विचारणीय प्रश्न कमांक- 1 व 2 का निराकरण

- 6. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।
- 7. प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षियों में से कमलेश अ०सा० 1 और विनोद अ०सा० 2 जो कि प्रदर्श पी. 1 व 2 के दस्तावेजों के पंच साक्षी है वे पक्षविरोधी होकर अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं कर रहे है। प्रदर्श पी. 1 व 2 के दस्तावेज आरोपी लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह गुर्जर से संबंधित धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम कथन और जप्ती पत्रक है जिसका मामला प्रथक किया गया है। इसलिए उक्त दोनों साक्षियों के समर्थन न करने से प्रकरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव विचारधानी आरोपी के संदर्भ में अभियोजन के कथानक पर नहीं माना जा सकता है। प्र.पी. 1 व 2 के मेमोरेण्डम कथन व जप्ती पत्रक की कार्यवाही विवेचक उपनिरीक्षक एस.के.शर्मा अ०सा० 7 ने करना बताई है। उसके अभिसाक्ष्य का भी आरोपी लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह के निर्णय के समय उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में उसके द्वारा की गई कार्यवाही का मूल्यांकन विचाराधीन आरोपी के संदर्भ में करने की आवश्यकता नहीं है।
- 8. चरनिसंह अ०सा० 3 प्रदर्श पी. 3 लगायत 7 से संबंधित दस्तावेज का पंच साक्षी है और वह भी पक्षविरोधी होकर अभियोजन का समर्थन नहीं करता है। प्रदर्श पी. 3 घटनास्थल से बरामद की गई बदमाशों की प्लेटिना मोटरसाइकिल का जप्ती पत्रक है तथा प्र.पी 4 प्रथक किए गए आरोपी राजू उर्फ राजबीर से चार सौ रूपए बरामदगी का जप्ती पत्रक है, प्र.पी. 5 फरियादी

अजय शर्मा की मोटरसाइकिल का जप्ती पत्रक है, प्र0पी0 6 राजू उर्फ राजबीर का गिरफ्तारी पत्रक है और प्र.पी. 7 राजू उर्फ राजबीर का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम कथन है। चूंकि प्रकरण में आरोपी राजू उर्फ राजबीर अनुपस्थित होकर उसका मामला प्रथक है, उसके उपलब्ध होने पर उसका निराकरण में उक्त दस्तावेजों के बारे में मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए चरनसिंह अ0सा0 3 के समर्थन न करने का भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार प्र.पी. 3 लगायत 7 का दूसरा पंच साक्षी बलवीर अ0सा0 10 है उसके भी इस स्तर पर साक्ष्य के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह भी विचाराधीन आरोपी लाखन पुत्र मायाराम से संबंधित साक्षी नहीं है। प्र.पी. 3 लगायत 7 के दस्तावेजों की कार्यवाही निरीक्षक डी.पी गुप्ता अ0सा0 6 के द्वारा की गई है। प्र.पी. 3 लगायत 7 के संदर्भ में इस स्तर पर दस्तावेजों के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। संबंधित आरोपी के उपलब्ध होने पर उसके निराकरण के समय होगा।

- 9. अन्य परीक्षित साक्षी आरक्षक सुनील कुमार अ०सा० 6 प्र.पी. 12 की औपचारिक गिरफ्तारी पत्रक का पंच साक्षी है जिसके द्वारा लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरिसंह की औपचारिक गिरफ्तारी की गई थी। इसलिए उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य के मूल्यांकन की इस स्तर पर आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार तत्कालीन थाना प्रभारी गोहद यू.एन.एस. परिहार अ०सा० 8 के द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य में आरोपी लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरिसंह गुर्जर को प्रोडेक्शन वारंट के माध्यम से तलब कराकर औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमित प्र.पी. 13 के माध्यम से लेकर कार्यवाही किये जाने की साक्ष्य दी गई है। उसकी भी इस स्तर पर आवश्यकता नहीं है। इसलिए उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है।
- 10. प्रकरण में सर्वाधिक महत्व के साक्षी अजय शर्मा अ०सा० 4 और उसकी बहन श्रीमती सुमन अ०सा० 5 है जो कि प्रकरण के पीडित पक्षकार है। अभियोजन कथानक मुताबिक उनके साथ लूट की घटना कारित हुई है इसलिए उनके अभिसाक्ष्य के आधार पर यह मूल्यांकित किया जाना है कि विचाराधीन आरोपी उक्त घटना में शामिल था या नहीं और उसके विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है या नहीं।
- 11. अजय शर्मा अ०सा० 4 ने अपने अभिसाक्ष्य में विचाराधीन आरोपी लाखन पुत्र मायाराम को पहचानते हुए प्र.पी. 8 की एफ.आई.आर. के अनुरूप इस आशय की साक्ष्य दी है कि दिनांक 22.06.2011 को सुबह करीब 09:30 बजे वह ग्राम करवास थाना मौ से अपनी बहन श्रीमती सुमन शर्मा को उसकी ससुराल से लेकर अपने घर ग्राम सोनी थाना बिजौली जिला ग्वालियर मोटरसाइकिल कमांक एम.पी. 07 एम.ई. 5159 डिस्कवर 150 सी०सी० से जा रहा था। वह मोटरसाइकिल चला रहा था उसकी बहन पीछे बैठी हुई थी और भान्जा भी साथ में था जिसे वह आगे सीट पर बिठाए था। उसकी बहन पर्स लिए थी जिसमें पांच हजार रूपए तथा ओम आकार का एक सोने का लॉकेट था, मंगलसूत्र उसकी बहन पहने हुए थी। जब वह चितौरा रोड पर नहर की पुलिया पर आये तब तीनों लोगों ने कट्टे अडाकर उन्हें रोक लिया और उसकी मोटरसाइकिल लूट ली तथा उसकी बहन का पर्स छुडा लिया जिसमें

पांच हजार रूपए थे जो लूटकर ले गए, बहन के गले से सोने का मंगलसूत्र और ओम आकार का लॉकेट भी लूटा था तथा 2—3 थप्पड भी मारे थे। तीनों लूट करने वालों को वह पहचानता है, जिनकी पहचान करना बताते हुए उसने यह भी कहा है कि घटना के बारे में उसने थाना गोहद में प्र.पी. 8 की रिपोर्ट की थी। पुलिस ने मौके पर आकर उसकी निशानदेही पर प्र.पी. 9 का नक्शामौका भी बनाया था और उससे पूछताछ कर वयान भी लिया। उसकी लूटी गई उक्त मोटरसाइकिल पुलिस ने आरोपीगण से जप्त की थी जो उसे न्यायालय के आदेश से सुपुर्दगी पर प्राप्त हो चुकी है जिसका प्र.पी. 10 का सुपुर्दगीनामा होना भी उसने बताया है।

5

- अ0सा0 4 के द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि 12. उसकी बहन सुमन ग्राम करवास के पूर्व सरपंच रामप्रकाश उपाध्याय के लडके रामानंद को विहायी है । बहन को लेकर वह उसकी ससुराल से सुबह करीब आठ-साढे आठ बजे ग्राम करवास से चला था और झांकरी में अपने फूफा से मिला था, बात कर के चितौरा होते हुए मुरार वाली रोड पर अपने गांव जा रहा था, तब पुलिया से दो-तीन खेत आगे पहुँचने पर उसकी मोटरसाइकिल को रोका गया था। लूट की घटना में दो–तीन मिनट का समय लगा होगा। घटनास्थल ग्राम चितौरा से 4-5 किलो मीटर दूर है और घटनास्थल के पास रोड़ के दाहिनी तरफ ग्राम पिपरसाना भी है। घटना की रिपोर्ट उसने दो-तीन दिन बाद गोहद थाने में लिखाई थी। उसने रिपोर्ट में बलवीर राना और चरनसिंह को बुलाकर बदमाशों का पीछा करने की बात भी लिखाई थी। उक्त दोनों लोगों को वह इसलिए जानता है, क्योंकि वे सरसों का भूसा (तूरी) का धंधा करते है। फोन करने के दस मिनट बाद बलवीर और चरनसिंह आ गए थे। घटना घटित होने के दस मिनट तक वह वहीं खडा रहा था चिल्लाया नहीं था, क्योंकि आरोपीगण उस पर कटटा लगाए थे। घटना घटित होने के बाद वह रोया चिल्लाया था। बलवीर और चरनसिंह एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे उसी से पीछा किया गया था और पिपरसाना रोड से शीतला माता मंदिर तक पीछा किया गया था। अन्य किसी को उसने फोन नहीं किया था। जब वह थाने रिपोर्ट को आया था तब घर वालों को बताया था। लुटेरों की उम्र अंदाज से उसने 20–25 वर्ष लिखाना बताई है। जब पुलिस ने लुटेरों को पकडा था तब आरोपीगण उसे उसे थाने में मिले थे। (तीनों आरोपियों को पुलिस एक साथ लाई थी या अलग अलग लाई थी यह उसे ध्यान नहीं है। पुलिस ने पहचान कराई या नहीं कराई यह भी उसे ध्यान नहीं है, लेकिन पैरा 7 में उसने विचाराधीन आरोपी लाखन पुत्र मायाराम ही घटना में शामिल होना उसने बताया है।
- 13. अ०सा० ४ ने यह भी बताया है कि बदमाश लूट की घटना करने के बाद दो—चार कदम आगे ही पहुँचे थे कि उनकी मोटरसाइकिल प्लेटिना पंचर हो गई थी इस कारण वे उसे वहीं छोडकर भाग गए थे और जब बदमाशों का उसने पीछा किया था तब उसकी बहन और भान्जा मौके पर ही रहे थे। रिपोर्ट के समय बलवीर और चरनसिंह उसके साथ गए थे। घटना स्थल पर पुलिस के साथ पुलिस के वाहन से वह आया था। उसकी लूटी गई मोटरसाइकिल पुलिस ने ग्राम भ्यानी से जप्त की थी, किससे जप्त की थी यह

उसे याद नहीं है। पुलिस ने उसे मोटरसाइकिल बरामद होने की सूचना दी थी। यह भी स्वीकार किया है कि जिस रोड पर घटना हुई थी वहाँ पर वाहन और लोग निकलते रहते है। आरोपीमण ने रोककर सबसे पहले कट्टा लगाया था और तीनों मुंह पर साफी बांधे हुए थे जो मुंह और आंख के नीचे बांधे हुए थे जैसा रूमला बांधते है। पूरा 10 में भी उसने आरोपी लाखन पुत्र मायाराम की ओर इशारा करते हुए उसके द्वारा कट्टा लगाने की बात बताई है, फायर नहीं किया था। उसे वह घटना के समय नहीं पहचानता था, लेकिन इस बात से इन्कार किया है कि उसने पढ़कर बयान दिया है। यह उसने स्वीकार किया है कि उसके जीजा का भाई विनोद उपाध्याय ग्वालियर में वकील है।

- 14. श्रीमती सुमन अ०सा० 5 जो कि अजय अ०सा० 4 की बहन है, उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी को पहचानते हुए लूट की घटना का समर्थन किया है और उसने प्र.पी. 11 का कथन भी पुलिस को देना बताया है तथा उसने अपने भाई अजय शर्मा के साथ ससुराल से मायके आने की बात बताते हुए जिस मोटरसाइकिल से आ रहे थे उसका क्रमांक भी बताते हुए अ०सा० 4 का पूरी तरफ से समर्थन किया है।
- 15. निरीक्षक डी.पी. गुप्ता अ०सा० ६ ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 22.06.2011 को थाना गोहद में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी अजय शर्मा की मौखिक रिपोर्ट पर से तीन अज्ञात लडकों के विरूद्ध मोटरसाइकिल, मंगलसूत्र और पैण्डल आदि की लूट के संबंध में प्र.पी. 8 की एफ.आई.आर लेखबद्ध कर अपराध कमांक 127/2011 कायम करना बताते हुए विवेचना के दौरान घटनास्थल पर पहुँचकर फरियादी के बताए अनसार प्र. पी. 9 का नक्शामौका तैयार करना बताया है तथा फरियादी अजय शर्मा और सुमन शर्मा के उनके बताए अनुसार कथन लेखबद्ध करना भी बताया है।
- 16. आरोपी लाखन पुत्र मायाराम की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क किया गया है कि घटना का किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है और आरोपी लाखन पुत्र मायाराम से कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है, उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है तथा फरियादीगण ने न्यायालय में ही उसे इस कारण पहचान लिया है कि अन्य कोई व्यक्ति न्यायालय में सामूहिक रूप से उपस्थित नहीं थे, किन्तु अनुसंधान स्तर पर पहचाना की कोई कार्यवाही नहीं हुई है और फरियादी अजय शर्मा पेशे से पत्रकार है इसलिए वह हितबद्ध पूर्वक अभिसाक्ष्य देता है, उसके आधार पर पहचान सुनिश्चित नहीं मानी जा सकती है और आरोपी के विरूद्ध मामला संदिग्ध है। इसलिए उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाए। ए.जी. पी. का यह तर्क रहा है कि आरोपी लाखन पुत्र मायाराम को घटना के पहले फरियादी जानता तक नहीं था उसके द्वारा घटना की पृष्टि की गई है और लूट की घटना क्षणिक अवधि में अचानक हुई है। इसलिए जो साक्ष्य आ सकती है वही अ0सा0 5 के द्वारा दी गई है उससे एफ.आई.आर. की पुष्टि होती है और आरोपी के लूट में शामिल होने संदेह से परे होना प्रमाणित है। इसलिए उसे दोषसिद्ध किया जाकर दंडित किया जाए।
- 17. यह सही है कि फरियादी अजय शर्मा पेशे से पत्रकार है जैसा कि कथन शीट में व्यवसाय में पत्रकारिता उसके बताए अनुसार अंकित की गई है।

7

18. आरोपी लाखन पुत्र मायाराम से अनुसंधान के दौरान कोई भी वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है, किन्तु उसका भी आरोपी को कोई लाभ इस कारण प्राप्त नहीं हो सकता है, क्यों कि अनुसंधान के दौरान वह फरार हो गया था और उसके फरारी में ही अभियोगपत्र प्रस्तुत हुआ है। इस कारण उसके आधिपत्य से कोई बरामदगी न होने से अभियोजन मामले को दूषित होना नहीं माना जा सकता है।

19. अजय शर्मा अ०सा० ४ एवं सुमन अ०सा० 5 आरोपी की पहचान के बिन्दू पर और लूट की घटना के संबंध में अखण्डित रहे है और धारा 134 साक्ष्य विधान के अंतर्गत यह स्पष्ट उपबंध है कि किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है। अर्थात एकल साक्ष्य पर भी दोषसिद्ध की जा सकती है। अ०सा० 4 एवं अ०सा० 5 के अभिसाक्ष्य में तात्विक प्रकार की विसंगतियाँ नहीं है, जिससे उनके अभिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और उनके अभिसाक्ष्य से इस बात की युक्तियुक्त संदेह से पर पुष्टि हो जाती है कि दिनांक 22.06.2011 को अजय शर्मा अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.ई. 5159 से अपनी बहन सुमन को लिवाने के लिए उसकी ससुराल ग्राम करवास थाना मौ गया था और बहन को लेकर बापस आ रहा था तब रास्ते में आते समय चितौरा ग्वालियर रोड पर नहर की पुलिया के पास तीन लोगों के द्वारा उसे रोककर लूट की घटना कारित की गई। स्वीकृत आधार पर घटना दिनांक को राजस्व जिला भिण्ड में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के प्रावधान लाग थे और डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित था जैसा कि ऊपर वर्णित अधिसूचना से स्पष्ट है। उनके साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि लूट की घटना में कट्टा अडाकर लूट की गई है। अर्थात् घटना में अग्नेयशस्त्र का उपयोग किया गया है तथा मोटरसाइकिल बरामद भी हुई है और वह फरियादी की सुपुर्दगी में प्राप्त हुई है। इसलिए अन्य वस्तुओं की अर्थात् जेबरात के बदामद न होने से मामला संदिग्ध होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा विधिक रूप से अपेक्षित नहीं है कि लूटी गई समूर्ण सामाग्री बरामद हो तभी मामले की पृष्टि होगी और प्र.पी. 8 की एफ.आई.आर. वृतांत अ०सा० 4 व 5 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होता है। सुमन के द्वारा जो आंशिक विरोधाभास प्रकट किया गया है कि उसके भाई के अलावा रास्ते से निकल रहे लोगों से मदद मांगी थी और उन्होंने दो अलग अलग मोटरसाइकिलों से पीछा किया था जबकि अजय एक ही मोटरसाइकिल से पीछा करने की बात कहते है और डेढ घण्टे बाद भाई लौटकर आया। लूट के समय अजय ने कट्टे के कारण चिल्लाने से इन्कार किया है जबकि सुमन राहगीरों को मदद के लिए पुकराने और चिल्लाने की बात कहती है, लेकिन उसने भी यह कहा है कि लूट के समय वह और उसका भाई नहीं चिल्लाए थे, उन्होंने हाथ जोडकर छोडने का केवल लूटेरों से निवेदन किया था और पडोस के गांव पिपरसाना के लोग चिल्लाने पर अवश्य आ सकते थे, किन्तु चिल्लाए इसलिए नहीं थे, क्योंकि उसके भाई के सिर पर पिस्तौल या कट्टा लगा रखा था। इस तरह से सुमन ने स्पष्ट और स्वभाविक साक्ष्य दी है जो कि लूट की पृष्टि करती है और एफ.आई.आर. लेखक डी.पी. गुप्ता अ०सा० ६ ने प्र.पी. ८ एवं ९ को प्रमाणित किया है जिससे भी घटना डकैती प्रभावित क्षेत्र में होना प्रमाणित होती है जिससे एम0पी0डी0व्ही0पी.के एक्ट 1981 के प्रावधान आकृष्ट होते हैं। ऐसी दशा में अ0सा0 4 लगायत अ०सा० 6 के अभिसाक्ष्य से लूट की घटना कारित होना और उस लूट की घटना में विचाराधीन आरोपी लाखन पुत्र मायाराम का शामिल रहना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। इसलिए बचाव पक्ष के द्वारा जो आधार लिया गया है और जो तर्क दिए गए हैं उन्हें कोई विधिक महत्व नहीं दिया जा 20. इस प्रकार से उपरोक्त चरणबद्ध तरीके से अभिलेख पर आई साक्ष्य तथ्य एवं परिस्थितियों की मीमान्सा के आधार पर फरियादी अजय शर्मा एवं उसकी बहन श्रीमती सुमन के साथ लूट की घटना राजमार्ग पर होना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होती है, जिससे विचाराधीन आरोपी के विरूद्ध विरचित आरोप धारा 392 भा0दंठंसंठ सहपठित धारा 11/13 एम०पीठडीठव्हीठपीठकेठ एक्ट 1981 के आरोप में दोषसिद्धि की जाती है तथा बिकल्प में लगाए गए आरोप धारा 398 भाठदंठंसंठ के आरोप से इस आधार पर दोषमुक्त किया जाता है कि लूट का प्रयत्न न होने से, बल्कि लूट ही हुई है। अतः आरोपी लाखन पुत्र मायाराम को धारा 398 भाठदंठंसंठ के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

9

21. घटना गंभीर स्वरूप की है और विचाराधीन आरोपी वर्तमान में 32 वर्षीय युवक है जो आपराधिक परवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का या धारा 360 जा.फो. के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है। अतः दण्डाज्ञा के प्रश्न पर उसे सुनने के लिए निर्णय थोडी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

#### (पी.सी.आर्य) विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद, जिला भिण्ड

- 22. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क है कि अपराध गंभीर है और लूट की बारदात भिण्ड जिले में अधिक हो रही है, इसलिए कढ़ा दण्ड दिया जाए। जबिक आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आरोपी प्रकरण में लम्बे अर्श से न्यायिक निरोध में है और लम्बे अरसे से अभियोजन का सामान भी कर रहा है। इसलिए उसे न्यायिक निरोध की काटी गई अवधि से ही दंडित कर छोड दिया जाए।
- 23. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क पर चिन्तन मनन किया गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर विचार किया गया। प्रकरण में आरोपी लाखन पुत्र मायाराम को छोडकर शेष का मामला उनके अनुपस्थित हो जाने से पृथक किया गया है। मूल प्रकरण वर्ष 2011 का है, किन्तु आरोपियों के बार बार अनुपस्थित होते रहने के कारण कार्यवाही प्रभावित हुई है, इसलिए विचारण की अवधि अधिक नहीं हुई है, क्योंकि आरोप ही दिनांक 26.02.2015 को विरचित हुआ है और 14 माह के भीतर प्रकरण का निराकरण हो रहा है तथा लूट की गंभीर बारदात उस समय की गई हे जब फरियादी अपनी बहन को उसकी ससुराल से लेकर घर लौट रहा था इस तरह की घटना राजस्व जिला भिण्ड में अधिक संख्या में हो रही हैं और लूट के मामलों की प्रमाणिकता का प्रतिशत अत्यधिक न्यून है। इसलिए इस प्रकार के अपराधों के प्रति कठोर रूख अपनाए

जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारत संघ वि० कुलदीप सिंह 2004(।।) एस.सी.सी. 590 में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति के आधार पर उचित दण्डाज्ञा प्रसारित करे जिससे जन मानस में न्याय के प्रति विश्वास बना रहे तथा विधि की समाज में प्रतिष्ठा कायम हो सके। उक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए विचाराधीन आरोपी लाखन पुत्र मायाराम को दोषसिद्ध अपराध धारा 392 भावदं ंसं० सहपठित धारा 11/13 एम०पी०डी० व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के अपराध के लिए समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/— रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राश अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाए।

- 24. आरोपी लाखन पुत्र मायाराम न्यायिक निरोध में है अतः उसे सजा वारंटा तैयार कर सजा भुगताए जाने के लिए भेजा जाए। सजा वारंट के साथ धारा 428 दं.पू.सं. के अंतर्गत न्यायिक निरोध में काटी गई अवधि दिनांक 10.07.2014 से आज दिनांक 22.04.2016 को कारावास की अवधि दण्डाज्ञा में समायोजित की जाए। इस संबंध में प्रमाणपत्र प्रथक से संलग्न किया जाए।
- 25. प्रकरण में अन्य आरोपी लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरिसंह और राजू उर्फ राजबीर पुत्र श्रीकृष्ण के विरूद्ध मामला पृथक है और वह अनुपस्थित हो गए है इसलिए सम्पत्ति के संबंध में अभी कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। मूल अभिलेख सुरक्षित रखा जावे।

दिनांकः 22 अप्रेल 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड